प्रेस विज्ञप्ति
01-10-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने 25.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नीरज कुमारपाल शाह और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, अहमदाबाद ने 25.09.2024 को ही पीसी का संज्ञान ले लिया है।

ईडी ने अहमदाबाद के वडाज पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत नीरज कुमारपाल शाह और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने मेसर्स सी2आर प्रोजेक्ट्स एलएलपी नाम से एक उच्च मूल्य वाली कंपनी चलाने का झूठा दावा किया था, जिसका मूल्य उन्होंने एक निवेशक को लुभाने के लिए लगभग 220 करोड़ रुपये बताया था, जो संयोग से एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना के अधिकारी थे। उन्होंने भारत में रक्षा क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से लगभग 45 करोड़ रुपये का निवेश किया था क्योंकि आरोपी नीरज कुमारपाल शाह ने खुद को इस उद्देश्य के लिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ बताया था। हालांकि, आरोपी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने व्यक्तिगत लाभ और अपने रिश्तेदारों और अन्य सहयोगियों के लाभ के लिए कम से कम 22 करोड़ रुपये की राशि को डायवर्ट कर दिया।

विस्तृत जाँच के बाद, 22 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला। 15.59 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई और इसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) के माननीय अदालत और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत माननीय नामित विशेष अदालत के समक्ष जब्त करने का अनुरोध किया गया है।